DBS बैंक इंडिया लिमिटेड

# DBS व्यापक डिपॉज़िट नीति

संस्करण: जून 2023

## I. गाइडिंग प्रिंसिपल

यह दस्तावेज़ बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न डिपॉज़िट प्रॉडक्ट और संबंधित बैंकिंग सेवाओं के मामले में गाइडिंग प्रिंसिपल (मार्गदर्शक सिद्धांतों) पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह दस्तावेज़ जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य ग्राहकों के लाभ के लिए लोगों से डिपॉज़िट स्वीकार करने के विभिन्न पहलुओं, विभिन्न डिपॉज़िट अकाउंट का व्यवहार और संचालन, अलग-अलग डिपॉज़िट अकाउंट पर ब्याज का भुगतान, डिपॉज़िट अकाउंट को बंद करना, मृत जमाकर्ताओं की डिपॉज़िट राशि के निपटान की विधि आदि के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। इस दस्तावेज़ से ग्राहकों के साथ व्यवहार में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है और ग्राहकों के बीच जागरूकता आने की उम्मीद की जाती है।

इस नीति को अपनाते समय, बैंक भारतीय बैंक एसोसिएशन की ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता में उल्लिखित ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराता है।

DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL), DBS बैंक लिमिटेड (DBL) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। सर्वोत्तम कार्यविधियों को अपनाने के मामले में DBIL जटिल, लंबी अवधि वाले, बड़े या महत्वपूर्ण लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) से निपटने के दौरान DBL के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करेगा ताकि सुनिश्चित हो सके कि समूह के न्यूनतम स्वीकृति मानदंड पूरे होते हैं। इसके अलावा DBIL, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संचालन में समूह के न्यूनतम स्वीकृति मानदंडों को पूरा किया जाता है, DBL द्वारा निर्धारित कुछ नीतियों और स्टैंडर्ड को भी मानेगा या उन पर विचार करेगा और उन्हें भारतीय नियमों के अनुरूप अनुकूलित करेगा।

## II. नीति

यह दस्तावेज़ जमाराशियों पर लागू मौजूदा नियमों पर आधारित है। अलग-अलग डिपॉज़िट स्कीमों/योजनाओं और उनसे संबंधित सेवाओं पर विस्तृत प्रचालन निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

1. **<u>अकाउंट खोलना/खाता खोलना</u>** - बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के अकाउंट का विस्तारित जानकारी प्रदान करेगा जिन्हें वे बैंक में खोल सकते हैं। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं, जरूरतों और लागू दिशानिर्देशों के आधार पर अपने लिए खाते के प्रकार का चयन कर सकते हैं।

बैंक को, अकाउंट खोलने से पहले अपने ग्राहकों से, बैंक की "अपने ग्राहक को जानें" (KYC) नीति और RBI द्वारा जारी KYC दिशानिर्देशों और अन्य नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज और जानकारी की आवश्यकता होगी। बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली उचित सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) प्रक्रिया में दस्तावेज़ों की जांच करना, ग्राहकों की पहचान, पता, पेशे या व्यवसाय की जानकारी और धन के स्रोत की पुष्टि करना शामिल होगा। उचित सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बैंक को अकाउंट के प्रकार (भौतिक/डिजिटल) के अनुसार सभी डिपॉज़िट/अकाउंट होल्डर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की हाल ही में खींची गई रंगीन फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। बैंक को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) दिशानिर्देशों का पालन करना भी आवश्यक है।

बैंक को अपने ग्राहकों से आयकर अधिनियम/नियमों के तहत निर्दिष्ट स्थायी खाता संख्या (PAN) या वैकल्पिक रूप से फॉर्म संख्या 60 या 61 में घोषणा प्राप्त करना आवश्यक है।

ग्राहकों की KYC जानकारी ग्राहक प्रोफ़ाइल के आधार पर समय-समय पर अपडेट की जाएगी।

बैंक ग्राहकों को अकाउंट खोलने में सक्षम बनाने के लिए अकाउंट खोलने का फॉर्म और इससे जुड़े दूसरे दस्तावेज प्रदान करेगा। बैंक ग्राहकों को वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जरूरी जानकारी का संपूर्ण विवरण देने के बारे में सलाह देगा।

ग्राहक अपना अकाउंट अलग-अलग उपलब्ध तरीकों में से किसी भी एक के जरिए खोल सकता है, जैसे कि डिजिटल सेविंग्स बैंक अकाउंट के लिए ऐपस्टोर से DBS बैंक के digibank एप्लिकेशन डाउनलोड करके, और स्वेच्छा से अपना आधार नंबर प्रदान करके और बैंक को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रदान करके या वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) के जरिए जो विशेष रूप से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, प्रक्रिया पूरी करके आधार आधारित डिजिटल अकाउंट खोल सकता है। इसके अलावा ग्राहक किसी भी ब्रांच में जाकर, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट्स से मिलकर भी अकाउंट खोल सकते हैं।

बैंक को अपने विवेकानुसार, समय-समय पर निर्धारित परिभाषित नीति के आधार पर अकाउंट खोलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ग्राहक बैंक द्वारा समय-समय पर पेश किए जाने वाले दूसरे बैंकिंग प्रॉडक्ट का भी लाभ उठा सकते हैं जो DBS मोबाइल के digibank, इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर या किसी भी ब्रांच में उपलब्ध हैं।

बैंक मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों के संदर्भ में नई व्यक्तिगत (इंडिविजुअल) और गैर-व्यक्तिगत (नॉन- इंडिविजुअल) अकाउंट से संबंधित आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (OVD) के साथ ग्राहक का KYC डेटा CERSAI (CKYCR) पर अपलोड की जाएगी। बैंक ग्राहक से प्राप्त विशिष्ट सहमति के आधार पर CKYC नंबर या PID विवरण के आधार पर ग्राहक का KYC डेटा OVD के साथ CERSAI (CKYCR) से डाउनलोड भी कर सकता है।

ग्राहक अपने किसी भी प्रश्न के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे ग्राहक सेवा नंबर, ईमेल आदि के माध्यम से, जिन्हें बैंक समय-समय पर उपलब्ध करा सकता है, और शाखाओं पर जा कर, बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बैंक जितनी जल्द हो सके प्रश्न का समाधान करने/उत्तर देने का प्रयास करेगा।

2. **<u>डिपॉज़िट अकाउंट के प्रकार</u> -** जमा उत्पादों (डिपॉज़िट प्रॉडक्ट) को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत (कैटेगाराइज़) किया जा सकता है:

**<u>सेविंग्स बैंक अकाउंट/ बचत बैंक खाता -</u>** इसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई सलाह के अनुसार पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों और कुछ संगठनों/एजेंसियों द्वारा खोला जा सकता है। इसमें HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार) भी शामिल है। ग्राहक की आवासीय स्थिति के आधार पर अकाउंट को निवासी सेविंग्स/NRO सेविंग्स अकाउंट के रूप में खोला जा सकता है। DBIL कई तरह के सेविंग्स अकाउंट खोलने के विकल्प देता है जिनका विवरण इस दस्तावेज़ में आगे दिया गया है।

बचत खातों की प्रचलित ब्याज दरें बैंक की वेबसाइट पर अपडेट की जाएंगी। बचत जमा खातों पर ब्याज दरों की गणना और क्रेडिट RBI के दिशानिर्देशों के आधार पर की जाएगी, जिनमें समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

व्यक्तिगत खाते (इंडिविजुअल अकाउंट) ग्राहकों द्वारा अपने खुद के नाम में (सिंगल नाम) से या ग्राहक द्वारा दूसरों के साथ संयुक्त रूप से (जाइंट अकाउंट) खोले जा सकते हैं।

एक से अधिक व्यक्तियों के साथ खोला गया जाइंट अकाउंट, ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट हस्ताक्षर आदेश के आधार पर, एक ही व्यक्ति द्वारा या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा जाइंट रूप से ऑपरेट किया जा सकता है। अकाउंट के संचालन के लिए मैंडेट/निर्दिष्ट हस्ताक्षर केवल सभी अकाउंट होल्डर की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है। NRI के करीबी रिश्तेदार को मौजूदा/नए निवासी बैंक अकाउंट में निवासी अकाउंट होल्डर के साथ जाइंट होल्डर के रूप में "दोनों में से कोई एक या सर्वाइवर" के आधार पर शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि लागू नियामक शर्तें पूरी हों। NRI/NRO जाइंट अकाउंट के मामले में, घरेलू करीबी रिश्तेदार को मौजूदा/नए निवासी बैंक अकाउंट में निवासी के साथ जाइंट होल्डर के रूप में "फॉर्मर या सर्वाइवर" आधार पर शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि लागू नियामक शर्तें पूरी हों। PIO/OCI कार्ड होल्डर जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहते हैं, प्रक्रिया के अनुसार जरूरी KYC दस्तावेज जमा करके निवासी बचत खाता (रेजीडेंस सेविंग्स अकाउंट) खोल सकते हैं। ग्राहकों की निवास स्थिति पर बैंक द्वारा समय-समय पर उचित सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) की प्रक्रिया की जाएगी।

KYC के संबंध में RBI के मास्टर निर्देशों के अनुसार, OTP-आधारित अकाउंट में लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) और बैलेन्स लिमिट; और अकाउंट खोलने के एक वर्ष के भीतर फुल KYC कराने से संबंधित आवश्यकताओं का पालन करना शामिल है, ऐसा न करने पर अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।

KYC के संबंध में RBI के मास्टर निर्देश और बैंक की KYC नीति के अनुसार, बैंक वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के जरिए आमने-सामने नहीं होते हुए भी OTP के आधार पर किसी ग्राहक का एक बैंक अकाउंट खोल सकता है या पुनः KYC कर सकता है या अकाउंट को अपग्रेड कर सकता है।

***2.1.1 बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट (BSBDA):*** "बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट अकाउंट" का अर्थ ज्यादा वित्तीय समावेशन के लिए खोला गया डिमांड डिपॉज़िट अकाउंट है। ऐसे अकाउंट अपने ग्राहक को जानें (KYC)/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) मानदंडों पर RBI के निर्देशों के अधीन होते हैं। अगर ऐसा अकाउंट आसान KYC नियमों के आधार पर या बिना KYC के खोला जाता है, तो अकाउंट को अतिरिक्त रूप से 'स्मॉल अकाउंट' या "छोटे खाते" के रूप में भी देखा जाएगा।

**खाते की खासियत** - प्रॉडक्ट का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं
• निष्क्रिय BSBDA अकाउंट के गैर-संचालन/सक्रियण (एक्टिवेशन) के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

**KYC**

- BSBDA अकाउंट, बैंक अकाउंट खोलने के संबंध में RBI के KYC/AML से संबंधित समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अधीन है।

- BSBDA खोलते समय हम RBI मास्टर निर्देश द्वारा निर्दिष्ट पूरे KYC दस्तावेज जैसे आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (OVD) या डीम्ड OVD प्राप्त करते हैं।

**'स्मॉल अकाउंट'**

व्यक्तिगत ग्राहक जिसके पास KYC के रूप में कोई आधिकारिक वैध दस्तावेज (OVD) नहीं है और जो बैंक अकाउंट खोलना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित के अधीन एक 'स्मॉल अकाउंट' खोल सकते हैं :

- बैंक ग्राहक से एक स्वप्रमाणित (सेल्फ अटेस्टेड) फोटोग्राफ प्राप्त करेगा।
- बैंक शाखा का नियुक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि अकाउंट खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर किया अथवा अंगूठे का निशान लगाया है।
- ऐसे अकाउंट में कुल लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) और शेष राशि (बैलेन्स) की आवश्यकताओं से संबंधित निर्धारित मासिक और वार्षिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, और कोई लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) करने की अनुमति देने से पहले इसकी जांच की जाएगी।
- इन अकाउंट में विदेशी आवर्तन रेमिटेंस की अनुमति नहीं होगी।
- अकाउंट शुरू में बारह महीने की अवधि तक आपरेशनल रहेगा जिसे अतिरिक्त बारह महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि अकाउंट होल्डर को इसके लिए आवेदन करना होगा और उक्त अकाउंट खोलने के बाद पहले बारह महीनों के दौरान किसी OVD के लिए आवेदन करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
- प्रावधानों में दी गई संपूर्ण छूट की चौबीस महीने के बाद समीक्षा की जाएगी। अगर चौबीस महीने के भीतर OVD जमा नहीं किया जाता है, तो अकाउंट पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा और आगे से उसमें किसी भी लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) की अनुमति नहीं होगी।

**अन्य महत्वपूर्ण बिंदु**

- नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, BSBDA होल्डर DBIL के साथ कोई अन्य सेविंग्स अकाउंट (बचत खाता) खोलने के पात्र नहीं हैं,
- अगर ग्राहक के पास DBIL में वर्तमान में कोई दूसरे सेविंग्स अकाउंट हैं, तो ग्राहक को वे अकाउंट BSBDA खोलने के 30 दिनों के भीतर बंद करना होगा।
- अगर ग्राहक द्वारा ऐसा अकाउंट BSBDA खोलने के 30 दिनों के भीतर बंद नहीं किया जाता है तो बैंक लागू नियामक दिशानिर्देशों के तहत, अन्य सेविंग्स अकाउंट (अगर कोई हो) को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- एक व्यक्ति के पास केवल एक ही BSBDA अकाउंट हो सकता है।

***2.2 चालू खाता (करेंट अकाउंट)*** व्यक्तियों, एकल स्वामित्व/साझेदारी और सीमित देनदारी साझेदारी फर्मों/निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/HUF/सोसाइटियों/ट्रस्टों आदि द्वारा खोला जा सकता है। चालू खातों में रखी गई जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। DBIL कई प्रकार के **चालू खाते** की सुविधा प्रदान करता है।

***2.3 विदेशी मुद्रा खाता*** - RBI द्वारा निर्दिष्ट लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) के लिए, निवासी भारतीय ग्राहक द्वारा खोला जा सकता है।

***2.4 विशेष रुपी खाता*** - विदेशी व्यक्ति द्वारा जो भारत के निवासी नहीं है, RBI द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित नियमों के अनुसार खोले जा सकते हैं।

***2.5 फिक्स्ड डिपॉज़िट -*** यह एक निर्दिष्ट अवधि और राशि के लिए खोला गया डिपॉज़िट खाता है। यह डिपॉज़िट खाता किसी अन्य बचत/चालू खाते से जुड़ा हुआ हो सकता है या इसे अकेले भी खोला जा सकता है।

एक फिक्स्ड डिपॉज़िट को व्यक्तियों/एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म/निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों/HUF/समाजों/ट्रस्टों आदि द्वारा शाखाओं में या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल रूप से जमा प्लेसमेंट अनुरोध प्रस्तुत करके खोला जा सकता है। डिपॉजिट बुक करते समय ग्राहकों को निम्नलिखित का चयन करने का विकल्प मिलेगा

**समय अवधि:** कम से कम 7 दिनों से शुरू (digibank मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई जमा राशि के लिए, न्यूनतम अवधि 90 दिन है। इससे कम अवधि के लिए ग्राहक शाखा के माध्यम से डिपॉज़िट बुक कर सकते हैं)

**धनराशि**: आवेदन पत्र में निर्धारित न्यूनतम राशि से शुरू,

**ब्याज**: चक्रवृद्धि ब्याज/साधारण ब्याज/त्रैमासिक भुगतान या मासिक भुगतान

**परिपक्वता (मैच्योरिटी):** मूलधन और ब्याज का ऑटोमैटिक रिन्यूअल (स्वचालित नवीनीकरण) / केवल मूलधन का ऑटोमैटिक रिन्यूअल और ब्याज लिंक किए गए बैंक अकाउंट में जमा / पूरी राशि (मूलधन और ब्याज सहित) लिंक किए गए खाते में जमा / NEFT / RTGS / IMPS / UPI के जरिए डिमांड ड्राफ्ट / इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण जारी (यह digibank मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक किए गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर लागू नहीं है)। उपर्युक्त व्यापक श्रेणियों के भीतर, बैंक विशिष्ट लक्षित ग्राहक खंडों के लिए विशिष्ट विशेषताओं वाले विभिन्न प्रॉडक्ट प्रस्तुत कर सकता है जैसे अप्रतिदेय डिपॉज़िट, बेंचमार्क लिंक्ड फ्लोटिंग रेट डिपॉज़िट आदि।

***2.6 आवर्ती जमा (रीकरिंग डिपॉज़िट)-*** ऐसे व्यक्ति के लिए है जो एक निश्चित धनराशि रिटर्न दर पर मासिक रूप से एक विशिष्ट राशि निवेश करना चाहता है। मैच्योरिटी/ समय से पहले-बंद करने की तारीख पर, ग्राहक को मूल राशि के साथ-साथ उस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज भी मिलेगा।

***2.7 अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) से संबंधित डिपॉज़िट*** - बैंक अनिवासी भारतीय (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को FCNR (B) डिपॉज़िट, NRE डिपॉज़िट और NRO डिपॉज़िट की सुविधा प्रदान करता है।

- NRE /NRO डिपॉज़िट के लिए, ब्याज दरें समतुल्य घरेलू रुपी फिक्स्ड डिपॉज़िट पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी।
- बैंक के स्वयं के कर्मचारी या वरिष्ठ नागरिक को बैंक द्वारा डिपॉज़िट पर दिया जाने वाला अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ (अगर कोई हो) NRE और NRO डिपॉज़िट पर उपलब्ध नहीं होगा।
- यह नीति केवल DBS बैंक इंडिया लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली डिपॉज़िट सुविधा पर ही लागू होती है।

अनुमति प्राप्त डेबिट/क्रेडिट, जमा की अवधि, जमा की ब्याज दर, समय से पहले निकासी (विथड्रॉल), निवासी स्थिति में परिवर्तन होने पर निवासी में रूपांतरण और खाते का संचालन, नामांकन सुविधा, मृतक खाते का संचालन आदि RBI के मास्टर दिशानिर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

FCNR (B) योजना के तहत फिक्स्ड डिपॉज़िट पर ब्याज दरें केवल निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से भिन्न होती हैं:

- डिपॉज़िट की अवधि: FCNR (B) स्कीम/योजना के तहत फिक्स्ड डिपॉज़िट की मैच्योरिटी अवधि, जो कि इस प्रकार है:
    - एक वर्ष और उससे अधिक लेकिन दो वर्ष से कम
    - दो वर्ष और उससे अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम
    - तीन वर्ष और उससे अधिक लेकिन चार वर्ष से कम
    - चार वर्ष और उससे अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम
    - केवल पाँच वर्ष
- डिपॉज़िट का आकार: BDS अपने विवेक से मुद्रा-वार न्यूनतम मात्रा तय करता है जिस पर अलग-अलग ब्याज दरों की पेशकश की जाती है।
- FCNR (B) डिपॉज़िट के लिए ब्याज भुगतान को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाता है।

ब्याज दरों की अधिकतम सीमा समय-समय पर प्रचलित नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर होगी।

**2.8** ***निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना*** - RFC डिपॉज़िट स्थायी रूप से भारत लौटने वाले अनिवासी भारतीयों/PIO के लिए लागू होते हैं, जिसमें उनकी स्थिति अनिवासी से निवासी में बदल जाती है। बैंक निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना के तहत अपने द्वारा स्वीकार किए गए या अपने द्वारा नवीनीकृत किए गए धन के डिपॉज़िट पर ब्याज (अगर पात्र हो), संपत्ति और देयता समिति (ALCO) द्वारा अनुमोदित डिपॉज़िट पर ब्याज दरों के अनुसार निर्धारित करेगा। जब अनिवासी भारतीय (NRE) की आवासीय स्थिति एक निवासी में बदल जाती है, तब अनिवासी बाहरी (NRI) खाते और/या विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [FCNR (B)] खाते में शेष राशि को अकाउंट होल्डर द्वारा विकल्प चुने जाने पर RFC खाते में डिपॉज़िट किया जा सकता है (अगर पात्र हो)।

**2.9** ***टर्म डिपॉज़िट के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट/डिपॉज़िट लोन*** - ग्राहक टर्म डिपॉज़िट के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा/डिपॉज़िट लोन के लिए अनुरोध कर सकता है जो कि जमाकर्ता द्वारा विधिवत निर्वहन किए गए आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन किए जाने पर प्रदान किया जाएगा। ROI, समय अवधि आदि से संबंधित दिशानिर्देश बैंक द्वारा तय किए जाएंगे जो समय-समय पर जारी नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की क्रेडिट नीति के अनुसार होंगे। अगर डिपॉज़िट मैच्योरिटी से प्राप्त आय प्राप्त लोन के तहत देयता को अर्जित/काटे गए ब्याज के साथ पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो बैंक जमाकर्ता को उचित सूचना देकर सेट ऑफ के अधिकार का उपयोग कर सकता है तथा डिपॉज़िट और डिपॉज़िट लोन दोनों खतों को बंद कर सकता है।

**3.** **<u>ब्याज</u>**- बैंक टर्म डिपॉज़िट की ब्याज दरें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य दिशानिर्देशों के तहत तय करता है। नियामक द्वारा अनुमत ग्राहक श्रेणियों के लिए, जैसे कि DBS स्टाफ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, बैंक, समय-समय पर अपने विवेक से, सामान्य बैंक दर से एक प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं की दर से अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकता है। यह केवल रैक दर फिक्स्ड डिपॉज़िट और आवर्ती जमा के लिए ही लागू होगा।

टर्म डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना तीन महीने के अंतराल पर या मौजूदा प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी और डिपॉज़िट की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा तय की गई दर से भुगतान किया जाएगा।

मासिक जमा योजना (मंथली डिपॉज़िट स्कीम) में ब्याज की गणना तिमाही के लिए की जाएगी और भुगतान रियायती मूल्य पर हर महीने किया जाएगा। ब्याज का भुगतान निकटतम पूरे रुपये में किया जाता है यानी पैसे को निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाता है।

डिपॉज़िट समय से पहले बुकिंग के 7 दिनों के भीतर बंद करने पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

भारतीय बैंक संघ (IBA) का बैंकिंग प्रैक्टिस कोड IBA द्वारा सदस्य बैंकों द्वारा एक समान रूप से अपनाए जाने के लिए जारी किया गया है। इस कोड का उद्देश्य न्यूनतम मानक निर्धारित करके अच्छी बैंकिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है, जिनका सदस्य बैंकों को ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में पालन करना चाहिए।

डोमेस्टिक फिक्स्ड डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना के उद्देश्य से IBA ने निर्धारित किया है कि तीन महीने से कम समय में चुकाने योग्य डिपॉज़िट पर या जहां टर्मिनल तिमाही अधूरी है, ब्याज का भुगतान वास्तविक दिनों की संख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए। बैंक डिपॉज़िट के लिए ब्याज की गणना ऊपर बताए गए अनुसार करता है। उदाहरण के लिए अगर डिपॉज़िट 7 महीने की अवधि के लिए है, तो ब्याज का भुगतान 2 तिमाहियों के लिए किया जाएगा और शेष ब्याज का भुगतान दिनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

इस गणना के प्रयोजन के लिए, एक वर्ष में दिनों की संख्या अधिवर्ष में 366 दिन और अन्य वर्षों में 365 दिन मानी जाएगी।

बैंक ब्याज राशि/टैक्स की देनदारी की गणना करते समय सभी ब्रांच में रखी गई सभी FD को एक CIF के तहत मानता है।

बैंक हमेशा ग्राहकों से फिक्स्ड डिपॉज़िट मैच्योरिटी निर्देश लेता है और इसकी अनुपस्थिति या डिपॉज़िट के ओवरड्यू होने की स्थिति में, मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सेविंग्स अकाउंट पर लागू ब्याज दर लागू की जाएगी।

बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना, भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले और परंपराओं के अनुसार करता है।

शब्द "बल्क डिपॉजिट" का उपयोग 2 करोड़ रुपये (इसके समान विदेशी मुद्रा राशि) और उससे अधिक की सिंगल रुपी टर्म डिपॉज़िट/FCNR (B) डिपॉज़िट के लिए किया जाएगा। बैंक थोक जमा (बल्क डिपॉज़िट) के लिए समान मैच्योरिटी राशि की डिपॉज़िट के लिए अलग-अलग ब्याज दरें प्रदान कर सकता है। 2 करोड़ रुपये से कम की डिपॉज़िट राशि के लिए, समान मैच्योरिटी राशि की डिपॉज़िट के लिए समान दरें यानी कार्ड दरें लागू होंगी। रुपी टर्म डिपॉज़िट में डोमेस्टिक टर्म डिपॉज़िट के साथ-साथ NRO और NRE अकाउंट के तहत आने वाले टर्म डिपॉज़िट भी शामिल होंगे।

2 करोड़ रुपये से कम की डिपॉज़िट राशि के लिए कार्ड दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और अनुमोदन के लिए ALCO को आवश्यक बदलावों की सिफारिश की जाएगी। बल्क डिपॉज़िट के लिए अलग-अलग दरें संपत्ति/देनदारी से जुड़ी आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएंगी और समान राशि और अवधि की डिपॉज़िट के लिए समान दरें लागू होंगी।

डिपॉज़िट पर ब्याज दर ब्रांच परिसर में साफ-साफ प्रदर्शित की जाएगी। डिपॉज़िट स्कीम और दूसरे संबंधित सर्विसेज के संबंध में बदलाव को, अगर कोई हो, ब्रांच परिसर और बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करके पहले से सूचित किया जाएगा।

अगर कोई NRE अकाउंट होल्डर, भारत लौटने पर तुरंत, NRE फिक्स्ड डिपॉज़िट को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (RFC) में बदलने करने का अनुरोध करता है, तो ब्याज का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

i) अगर NRE डिपॉज़िट न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक नहीं चला है, तो ब्याज का भुगतान RFC अकाउंट में रखी गई सेविंग्स डिपॉज़िट पर देय दर से अधिक नहीं होगा, बशर्ते, इस रूपांतरण का अनुरोध NRE अकाउंट होल्डर द्वारा भारत लौटने पर तुरंत किया जाता है।

ii) अन्य सभी मामलों में, ब्याज का भुगतान अनुबंधित दर पर किया जाएगा।

छुट्टियों के दिन मैच्योर होने वाली डिपॉज़िट राशि अगले कार्य दिवस पर अपने आप मैच्योर हो जाएगी और ग्राहक को अतिरिक्त दिन/दिनों के लिए शुरुआती डिपॉज़िट बुकिंग की दर से ब्याज दिया जाएगा।

डिपॉज़िट करते समय, ग्राहक मैच्योरिटी की तारीख पर डिपॉज़िट अकाउंट को बंद करने या आगे की अवधि के लिए डिपॉज़िट के रिन्यूअल के संबंध में निर्देश दे सकते हैं।

टर्म डिपॉज़िट की मैच्योरिटी से जुड़े निर्देश नहीं मिलने पर, व्यक्तिगत/HUF/ट्रस्ट/सोसाइटी के मामले में, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड जमाकर्ता को मैच्योरिटी की तारीख के बारे में पहले से सूचित करेगा और बैंक उस डिपॉज़िट को वर्तमान ब्याज दर पर ओरिजिनल डिपॉज़िट के समान अवधि के लिए रिन्यू कर देगा। दूसरों के लिए, बैंक मैच्योरिटी आय ग्राहक के सेविंग्स/करेंट अकाउंट में जमा कर देगा। ऐसी स्थिति में जहां किसी ग्राहक का हमारे साथ सेविंग्स/करेंट अकाउंट नहीं है, मैच्योरिटी आय मैच्योरिटी से संबंधित निर्देश में दिए गए ग्राहक के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी, अन्यथा हम ग्राहक के अगले निर्देश तक मैच्योरिटी राशि को अपने पास रखेंगे और इन ओवरड्यू डिपॉज़िट पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

अगर किसी व्यक्ति के सभी फिक्स्ड डिपॉज़िट पर भुगतान/देय कुल ब्याज आयकर अधिनियम और CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो स्रोत पर टैक्स काटना बैंक का वैधानिक दायित्व है। बैंक टैक्स की कटौती के लिए तिमाही आधार पर टैक्स कटौती प्रमाणपत्र (TDS सर्टिफिकेट) जारी करेगा। नियमों के अनुसार TDS दरें समय-समय पर लागू होंगी। अगर जमाकर्ता TDS से छूट का हकदार है तो वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में फॉर्म 15G/H में इसकी घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

***FCNR (B) डिपॉज़िट के लिए ब्याज का भुगतान:***

(a) योजना के तहत स्वीकार की गई डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना 360 दिनों से लेकर एक वर्ष के आधार पर की जाती है।

(b) ब्याज की गणना और उसका भुगतान प्रत्येक 180 दिनों के अंतराल पर किया जाता है और उसके बाद शेष दिनों की वास्तविक संख्या के लिए भुगतान किया जाता है।

बशर्ते कि चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ मैच्योरिटी पर ब्याज प्राप्त करने का विकल्प जमाकर्ता के पास निहित होगा। स्थायी निपटान (पर्मानेंट सेटलमेंट) के लिए भारत लौटने वाले भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के व्यक्तियों की FCNR (B) डिपॉज़िट शर्तों के अधीन ब्याज की अनुबंधित दर पर मैच्योरिटी तक जारी रहेगी:

a) FCNR (B) डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर जारी रहेगी।

b) ऐसी जमा राशि को अकाउंट होल्डर की भारत वापसी की तारीख से निवासी जमा (रेजीडेंस डिपॉज़िट) माना जाएगा।

c) ऐसे FCNR (B), डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी (विथड्रॉल) योजना के दंडात्मक प्रावधानों के अधीन होगी।

d) मैच्योरिटी पर FCNR (B) डिपॉज़िट को अकाउंट होल्डर के विकल्प पर निवासी रुपी डिपॉज़िट अकाउंट या RFC अकाउंट (अगर पात्र हो) में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

FCNR(B) डिपॉज़िट के रिन्यूअल पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

4. **फिक्स्ड डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी (विथड्रॉल)** - बैंक अपने विवेक से टर्म डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी (विथड्रॉल) की अनुमति देने का अधिकार रखता है। बैंक टर्म डिपॉज़िट की आंशिक निकासी (विथड्रॉल) की अनुमति केवल तभी देता है जब डिपॉज़िट विशेष योजना के तहत बुक किया गया हो और सेविंग्स/करंट अकाउंट से जुड़ा हो। अगर समय से पहले निकासी (विथड्रॉल) की अनुमति है, तो जमा पर ब्याज और जुर्माने का भुगतान लागू होगा, इसकी अनुमति RBI द्वारा निर्धारित प्रचलित शर्तों और साथ ही इस संबंध में बैंक द्वारा जारी और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध और समय-समय पर अपडेट किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

बैंक, सभी जमाकर्ताओं के लिखित/ऑनलाइन अनुरोध पर, निवासी/NRO फिक्स्ड डिपॉज़िट और NRE/FCNR डिपॉज़िट की मैच्योरिटी तिथि से पहले निकासी (विथड्रॉल) की अनुमति देगा।

- समय से पहले निकाली गई निवासी/NRO फिक्स्ड डिपॉज़िट पर ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए किया जाएगा जो ऐसी डिपॉज़िट राशि जमा करने की तारीख पर प्रचलित दर पर होगी, जो समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए दंड शुल्क की कटौती के अधीन होगी।
- समय से पहले निकाली गई NRE/FCNR डिपॉज़िट पर ब्याज का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब समयपूर्व निकासी (विथड्रॉल) एक वर्ष के बाद की जाएगी। अर्थात, उतने समय के लिए जिसके लिए यह डिपॉज़िट राशि जमा रखी जाती है, और डिपॉज़िट राशि जमा करने की तारीख पर प्रचलित दर पर, तथा यह बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गए दंड शुल्क की कटौती के अधीन होगी।
- FCNR डिपॉज़िट के लिए, समय से पहले निकासी (विथड्रॉल) से होने वाली विनिमय हानि, अगर कोई हो, ग्राहक द्वारा वहन की जानी चाहिए।
- अगर टर्म डिपॉज़िट को समय से पहले निकाला जाता है/डिपॉज़िट बुकिंग के 7 दिनों के भीतर बंद कर दिया जाता है तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

यह दंड शुल्क संरचना (बैंक द्वारा समय-समय पर परिभाषित रूप में) निम्नलिखित पर लागू है:

- इंडिविजुअल और नॉन- इंडिविजुअल डिपॉज़िट
- किसी भी राशि का FCNR डिपॉज़िट

**इस दंड शुल्क में परिवर्तन या छूट बैंक द्वारा परिभाषित अपेक्षित अनुमोदन के अधीन होगी।**

निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) अकाउंट में रूपांतरण के लिए NRE फिक्स्ड डिपॉज़िट (FCNR सहित) की समयपूर्व निकासी (विथड्रॉल) के मामले में, बैंक समयपूर्व निकासी (विथड्रॉल) के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाएगा।

बैंक अपने विवेक से FCNR डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी (विथड्रॉल) के लिए अतिरिक्त स्वैप शुल्क भी लगा सकता है। अगर भुगतान किया गया ब्याज देय से अधिक है, तो इसका अतिरिक्त ब्याज डिपॉज़िट की आय से वसूल किया जाएगा। हालाँकि, डिपॉज़िट या उसके रिन्यूअल की तारीख से 1 (एक) वर्ष की समाप्ति से पहले समयपूर्व निकाली गई NRE/FCNR डिपॉज़िट के मामले में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हालाँकि, बैंक, अपने विवेक से, डिपॉज़िट करते समय लागू नियमों और शर्तों के अनुसार व्यक्तियों, संस्थाओं और हिंदू अविभाजित परिवारों की बल्क डिपॉज़िट राशि (2 करोड़ और अधिक) की समय से पहले निकासी (विथड्रॉल) की अनुमति नहीं दे सकता है।

मृतक जमाकर्ताओं या जाइंट अकाउंट होल्डर के दावेदारों के अनुरोध पर टर्म डिपॉज़िट की राशि के बंटवारे के मामले में, अगर डिपॉज़िट की अवधि और कुल राशि में बदलाव नहीं होता है, तो टर्म डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी (विथड्रॉल) के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

**5. <u>टैक्स बचत डिपॉज़िट</u>**

- किसी भी मूल्यवर्ग की टैक्स बचत टर्म डिपॉज़िट पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए होगी।
- कोई टर्म डिपॉज़िट इसकी प्राप्ति की तारीख से पांच वर्ष पूरे होने से पहले नकदीकृत नहीं किया जाएगा।
- टैक्स बचत डिपॉज़िट पर कोई लोन नहीं दिया जाएगा।

हालाँकि, अकाउंट होल्डर की मृत्यु की स्थिति में, नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी या दावेदारों को या जाइंट डिपॉज़िट के मामले में, डिपॉज़िट के जीवित होल्डर (होल्डर्स) को, डिपॉज़िट के पहले होल्डर के मृत्यु के प्रमाण के साथ ब्रांच में आवेदन करके टर्म डिपॉज़िट को मैच्योरिटी से पहले भुनाने का अधिकार होगा।

**6. <u>नाबालिगों का खाता</u>** - नाबालिगों के नाम से अकाउंट उनके प्राकृतिक या कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक द्वारा खोला और संचालित किया जा सकता है, जिसे अकाउंट खोलने के दौरान निर्दिष्ट किया जाता है।

10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और पढ़ने-लिखने में सक्षम नाबालिगों को, अगर वे चाहें, तो स्वतंत्र रूप से सेविंग्स अकाउंट खोलने की अनुमति है, लेकिन ऐसे अकाउंट के लिए चेक-बुक जारी नहीं की जाएगी। नेट बैंकिंग (गैर-वित्तीय लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन)) और ATM संचालन (नकद निकासी (विथड्रॉल), बैलेंस पूछताछ और मिनी स्टेटमेंट) के लिए डेबिट कार्ड की अनुमति दी जा सकती है। नाबालिगों को ओवरड्राफ्ट सुविधा या लोन/एडवांस प्रदान नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक अभिभावक वाले अवयस्कों/नाबालिगों के अकाउंट में डिपॉज़िट पर सरकार/RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंध होगा।

अभिभावक द्वारा संचालित नाबालिग के अकाउंट के मामले में, नाबालिग के वयस्क होने यानी 18 वर्ष की आयु होने पर अकाउंट को संचालित करने का अभिभावक का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अकाउंट में कोई भी शेष राशि उस नाबालिग की विशेष संपत्ति मानी जाएगी जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है; और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अकाउंट से आगे की निकासी (विथड्रॉल) की अनुमति केवल पूर्व नाबालिग को ही दी जाएगी। इसके लिए नाबालिग के साथ अभिभावक को निकटतम ब्रांच में जाना होगा और नाबालिग अकाउंट को रेगुलर अकाउंट में बदलने के लिए KYC नीति के अनुसार आवश्यक KYC दस्तावेज यानी ID दस्तावेज और पते का प्रमाण नवीनतम फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के नमूने के साथ प्रदान करना होगा। ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि उपरोक्त का पालन न करने पर बैंक ऐसे नाबालिग अकाउंट के लिए अपने विवेक से कार्यवाही कर सकता है।

**7.** **<u>निरक्षर/दृष्टिबाधित व्यक्ति का अकाउंट</u>** - बैंक बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके करेंट अकाउंट के अलावा दूसरे डिपॉज़िट अकाउंट अनपढ़ व्यक्तियों के भी खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का अकाउंट खोला जा सकता है, बशर्ते वह एक ऐसे गवाह के साथ व्यक्तिगत रूप से बैंक में आए जिसे जमाकर्ता और बैंक दोनों ही जानते हों। डिपॉज़िट राशि और/या ब्याज की निकासी (विथड्रॉल)/भुगतान के समय, अकाउंट होल्डर को बैंक के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा जो व्यक्ति की पहचान को वेरिफ़ाई करेगा।

बैंक अधिकारी अनपढ़/दृष्टिबाधित व्यक्ति को अकाउंट को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के साथ-साथ प्रॉडक्ट और विशेषताओं के बारे में भी समझाएगा।

बैंक सुनिश्चित करेगा कि अकाउंट खोलने की सभी औपचारिकताएं बैंक के परिसर में की जाएं और निष्पादन के लिए कोई भी दस्तावेज़ बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां इस नियम का अपवाद बनाना आवश्यक है, बैंक विवरणों को सत्यापित करने और विधिवत भरा हुआ खाता खोलने का फॉर्म फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेजों के साथ प्राप्त करने के लिए एक विधिवत अधिकृत अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

**8.** **<u>वृद्ध और अक्षम व्यक्तियों या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी और मानसिक विकलांगताओं के कारण विकलांग व्यक्तियों द्वारा अकाउंट का संचालन</u>**

***8.1*** ***बीमार/बूढ़े/अक्षम गैर-पेंशन अकाउंट होल्डर को सुविधा*** - बीमार/बूढ़े/अक्षम अकाउंट होल्डर के मामले निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

- एक अकाउंट होल्डर जो बहुत बीमार है और अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए चेक पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता /बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन चेक/निकासी (विथड्रॉल) फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकता है।
- एक अकाउंट होल्डर जो शारीरिक अक्षमताओं के कारण बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, साथ ही चेक/निकासी (विथड्रॉल) फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगाने में भी सक्षम नहीं है।

***8.2*** ***संचालन की प्रक्रिया*** - बूढ़े/बीमार अकाउंट होल्डर को अपने बैंक अकाउंट संचालित करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा:

• जहां भी बीमार/बूढ़े/अक्षम अकाउंट होल्डर के अंगूठे या पैर की अंगुली का निशान प्राप्त किया जाता है, उसकी पहचान बैंक को ज्ञात दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए, जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होगा।

•	जहां ग्राहक अपने अंगूठे का निशान नहीं लगा सकता और बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित भी नहीं हो पाएगा, तो चेक/निकासी (विथड्रॉल) फॉर्म पर एक मार्क लगवाया जा सकता है जिसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होगा।

•	ग्राहक को बैंक को यह बताने के लिए भी कहा जा सकता है कि चेक/निकासी (विथड्रॉल) फॉर्म के आधार पर बैंक से राशि कौन निकालेगा और उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से पैसा निकालेगा उसे अपने हस्ताक्षर बैंक को प्रस्तुत करने होंगे।

**8.3** ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी और मानसिक विकलांगताओं के कारण विकलांग व्यक्ति के लिए बैंक खाता खोलने/संचालित करने के उद्देश्य से, बैंक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 और/या ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के तहत जिला अदालतों और जिलों के कलेक्टरों द्वारा और विकलांग व्यक्ति के लिए स्थानीय स्तरीय समिति द्वारा नियुक्त उस अभिभावक के लिए जारी आदेश/प्रमाणपत्र स्वीकार करेगा, जिसके पास विकलांग व्यक्ति और उसकी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी होगी।

## 9. <u>डिपॉज़िट अकाउंट का संचालन</u>

***9.1 होल्डर का नाम जोड़ना या हटाना*** - बैंक सभी जाइंट अकाउंट होल्डर के अनुरोध पर अगर परिस्थितियाँ उचित हों तो जाइंट अकाउंट होल्डर के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है या किसी व्यक्तिगत जमाकर्ता को जाइंट अकाउंट होल्डर के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति दे सकता है। हालाँकि, नाम जोड़ने/हटाने के बाद मूल अकाउंट होल्डर में से किसी एक का नाम बरकरार रखा जाना चाहिए।

***9.2 मैंडेट*** - जमाकर्ता के विशिष्ट अनुरोध पर, बैंक ग्राहक द्वारा दिया गया अकाउंट परिचालन अधिदेश पंजीकृत कर सकता है और उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को अकाउंट संचालित करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

***9.3 न्यूनतम राशि / सर्विस चार्ज*** - सेविंग्स बैंक अकाउंट (BSBDA को छोड़कर), और करेंट डिपॉज़िट अकाउंट जैसे डिपॉज़िट प्रॉडक्ट के लिए, बैंक ऐसे अकाउंट के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के हिस्से के रूप में कुछ न्यूनतम शेष राशि (मिनिमम बैलेन्स) बनाए रखना निर्धारित कर सकता है। अकाउंट में न्यूनतम शेष राशि नहीं बनाए रखने पर बैंक द्वारा समय-समय पर मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क लगाया जाएगा। बैंक किसी भी प्रॉडक्ट/अकाउंट पर एक निश्चित अवधि के लिए लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) की संख्या, नकद निकासी (विथड्रॉल) आदि पर सीमा प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसी प्रकार, बैंक चेक बुक, खातों के अतिरिक्त विवरण, डुप्लिकेट पासबुक जारी करने, फोलियो शुल्क आदि के लिए शुल्क निर्दिष्ट कर सकता है। अकाउंट के संचालन के लिए नियम और शर्तों और प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क की अनुसूची के संबंध में सभी विवरण, खाता खोलते समय संभावित जमाकर्ता को सूचित किए जाएंगे। ये शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं और बैंक अपने विवेक से वेबसाइट या संचार के अन्य चैनलों के माध्यम से ग्राहक को सूचित करेगा।

***9.4 नकद निकालने पर TDS***- आयकर अधिनियम की धारा 194N के तहत सेविंग्स/करेंट अकाउंट से नकद निकालने पर CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार TDS (स्रोत पर कर कटौती) लागू होगा।

***9.5 वैल्यू डेटिंग -*** नई/रिन्यूअल डिपॉज़िट के लिए वैल्यू डेटिंग बैंक की प्रक्रिया के अनुसार मौजूदा प्रथा का पालन करेगी।

**10. टैक्स की देनदारी -** ग्राहक किसी भी वस्तु एवं सेवा कर या समय-समय पर कानून द्वारा लागू समान प्रकृति के किसी अन्य कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। अगर बैंक को कानून द्वारा ऐसे कर के संबंध में वसूली करना और भुगतान करना आवश्यक होता है, तो बैंक ऐसे भुगतानों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है।

**11. नामांकन सुविधा -** व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी डिपॉज़िट अकाउंट में नामांकन सुविधा उपलब्ध है। नामांकन एकमात्र स्वामित्व(सोल प्रोप्राइटरी) संबंधी अकाउंट के लिए भी उपलब्ध है। प्रति अकाउंट केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन किया जा सकता है। एक बार किया गया नामांकन अकाउंट होल्डर द्वारा किसी भी समय रद्द किया या बदला जा सकता है। सभी अकाउंटहोल्डर की सहमति से नामांकन में संशोधन किया जा सकता है। किसी नाबालिग के पक्ष में संरक्षकता के तहत नामांकन किया जा सकता है। बैंक अनुशंसा करता है कि सभी जमाकर्ता नामांकन सुविधा का लाभ उठाएँ। जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में अकाउंट में बकाया शेष राशि कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में नामित व्यक्ति को प्राप्त होगी। जाइंट अकाउंट के मामले में, सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही नामांकित व्यक्ति का अधिकार बनता है। डिपॉज़िट अकाउंट खोलते समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में सूचित किया जाएगा। नामांकित व्यक्ति के चयन के लिए हां या नहीं के विकल्प FD एडवाइस, विवरण और पासबुक पर प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक को FD एडवाइस, विवरण और पासबुक पर नामांकित व्यक्ति का नाम मुद्रित होना चुनने का विकल्प भी प्राप्त होता है।

**12. अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक** - बैंक सेविंग्स अकाउंट के साथ-साथ करेंट अकाउंट के ग्राहकों को हर माह अकाउंट स्टेटमेंट प्रदान करेगा। ग्राहक के अनुरोध पर, अपेक्षित समय अवधि का अकाउंट स्टेटमेंट भी प्रदान किया जाएगा। अकाउंट खोलते समय ग्राहक को इसकी जानकारी दी जाएगी। अकाउंट स्टेटमेंट में उस अवधि के दौरान अकाउंट पर किए गए सभी लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) शामिल होंगे। ग्राहकों को मासिक विवरण निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। अगर ग्राहक चाहें तो बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर को पासबुक भी जारी कर सकता है। यह ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वह पासबुक को नियमित रूप से अपडेट कराए, ताकि अकाउंट की गतिविधियों से अपडेट रहे।

**13. अकाउंट का ट्रांसफर -** अकाउंट का संचालन देश भर की किसी भी शाखा से किया जा सकता है। हालाँकि, ग्राहक आवश्यकता होने पर, बैंक की किसी भी शाखा या सेवा इकाई से अकाउंट के हस्तांतरण के लिए विवरण और प्रक्रिया प्राप्त कर सकता है।

**14. मृत व्यक्ति के अकाउंट का संचालन** - RBI के निर्देशानुसार, बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं अपनाई हैं कि मृत जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान यथासंभव सरल हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया DBS सेटलमेंट ऑफ क्लेम पॉलिसी देखें।

15. **<u>लापता व्यक्ति के संबंध में दावों का निपटान</u>** - बैंक ने लापता व्यक्ति के संबंध में दावों के निपटान के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों द्वारा शासित प्रक्रिया अपनाई है। अधिनियम के अनुसार मृत्यु का अनुमान उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज होने की तारीख से सात साल बीत जाने के बाद ही लगाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया DBS निपटान और दावा नीति (सेटलमेंट और क्लेम पॉलिसी) देखें।

16. **<u>अनदायित डिपॉज़िट</u>** - एक अकाउंट (SB/CA/FD) में अगर अंतिम परिचालन की तारीख से या FD की मैच्योरिटी की तारीख से 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक अकाउंट से ग्राहक द्वारा कोई लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) नहीं किया गया है तो उसको अनदायित डिपॉज़िट में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे सभी अकाउंट से धनराशि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A के दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 वर्षों की उक्त अवधि की समाप्ति से 3 महीने की अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF फंड) में जमा कर दी जाएगी।

16.1 ***रिकॉर्ड रखरखाव और आवधिक समीक्षा*** - फंड में राशि ट्रांसफर करने की तिथि पर, बैंक समवर्ती ऑडिटर द्वारा सत्यापित ग्राहक-वार विवरण बनाए रखेगा, जिसमें अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है। फंड में ट्रांसफर गैर-ब्याज वाली जमाराशियों और अन्य क्रेडिट के संबंध में, विधिवत लेखापरीक्षित, ग्राहक-वार विवरण, बैंक के पास रखा जाएगा।

***16.2 शिकायत निवारण तंत्र*** - जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A पर RBI के सर्कुलर के अनुसार, बैंक दस वर्ष या उससे अधिक समय से लावारिस डिपॉज़िट/निष्क्रिय अकाउंट की सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। बैंक के पास ऐसे खातों से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक शिकायत निवारण नीति है, जो हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित है और एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ सभी भारतीय शाखाओं में उपलब्ध है।

***16.3 ग्राहक की ओर से दावा*** - DEAF में स्थानांतरित ऐसी किसी भी डिपॉज़िट राशि का दावा करने के लिए ग्राहक उस शाखा से संपर्क कर सकता है जिसमें वह अकाउंट है। आवेदन के साथ वैध आईडी प्रमाण सहित जमा का विवरण और राशि का प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। अगर यह दावा जमाकर्ता की मृत्यु के कारण है, तो कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति डिपॉज़िट धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति और अन्य प्रासंगिक कानूनी दस्तावेजों के साथ शाखा से संपर्क कर सकता है। ऐसे सभी दावों के लिए बैंक के मृतक दावा दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
अगर लागू होगा तो बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज सहित भुगतान करेगा, और जमाकर्ता को भुगतान की गई समतुल्य राशि के लिए फंड से रिफंड का दावा प्रस्तुत करेगा। ग्राहक नवीनतम KYC विवरण (फोटो संलग्न CIF, आईडी प्रमाण और पता प्रमाण) के साथ आधार शाखा से संपर्क कर सकते हैं और अकाउंट को फिर से एक्टिव करने का अनुरोध कर सकते हैं।

17. **<u>अन्य बैंकिंग सेवाएँ</u>**

***पेमेंट रोकने की सुविधा*:** बैंक जमाकर्ताओं से उनके द्वारा जारी किए गए चेक के संबंध में पेमेंट रोकने के निर्देश स्वीकार करेगा। इसके लिए निर्दिष्ट शुल्क लागू होगा।

***सेफ डिपॉज़िट लॉकर*** - बैंक विशिष्ट बैंक शाखाओं के माध्यम से सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा प्रदान करता है और जहां भी सुविधा प्रदान की जाती है, वहां सुरक्षित जमा लॉकर का आवंटन उपलब्धता और सेवा से जुड़े अन्य नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

**18. <u>अकाउंटबंद करना</u>**

**18.1** जमाकर्ता के विशेष अनुरोध पर अकाउंट बंद किये जा सकते हैं। जाइंट अकाउंट, सभी जाइंट हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किये जा सकते हैं।

**18.2** बैंक पर्याप्त नोटिस देकर करेंट, सेविंग्स या किसी भी डिमांड डिपॉज़िट अकाउंट को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**19. <u>दूसरी जरूरी सूचनाएँ-</u>**

**19.1** ***ग्राहकों के हित की सुरक्षा*** - बैंक अकाउंट खोलते समय ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी को महत्व देता है और इस डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

बैंक ग्राहक की जानकारी के बिना सर्विसेज और प्रॉडक्ट की क्रॉस सेलिंग के लिए इस जानकारी का उपयोग नहीं करेगा। अगर बैंक ऐसी जानकारी का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, तो यह पूरी तरह से अकाउंट होल्डर की सहमति से होगा।

जब तक कानून/वैधानिक प्राधिकारियों के तहत आवश्यक न हो, बैंक ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति के बिना ग्राहक के अकाउंट का विवरण किसी थर्ड पार्टी को प्रकट नहीं करेगा।

***19.2 डिपॉज़िट के लिए बीमा कवर*** - सभी बैंक डिपॉज़िट कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन भारतीय जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) द्वारा दी जाने वाली बीमा योजना के तहत शामिल हैं। इसके लिए लागू बीमा कवर का विवरण जमाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ग्राहक <u>www.dicgc.org.in</u> पर लॉग इन कर सकते हैं।

***19.3 जानकारी प्रदान करने में ग्राहक की असमर्थता*** - वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने में मौजूदा ग्राहक की असमर्थता के परिणामस्वरूप ग्राहक को उचित नोटिस दिए जाने के बाद अकाउंट बंद किया जा सकता है।

***19.4 शिकायतों और अभियोग का निवारण*** - जो ग्राहक फीडबैक देना चाहते हैं या बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में कोई शिकायत/अभियोग करना चाहते हैं, वे ग्राहक शिकायतों/अभियोगों को संभालने के लिए बैंक द्वारा नामित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतों/अभियोगों के निवारण के लिए प्रक्रिया और संपर्कों का विवरण ब्रांच के परिसर/वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ब्रांच के अधिकारी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। अगर ग्राहक को शिकायत की तारीख से एक महीने के भीतर बैंक से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है या वह प्रदान की गई प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने का अधिकार है।
ग्राहक बैंक की विस्तृत शिकायत नीति के बारे में जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

***19.5 इनएक्टिव अकाउंट*** - RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, अकाउंट बैलेन्स की परवाह किए बिना, अंतिम ग्राहक प्रेरित लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) की तारीख से 12 महीने के बाद खाते को "निष्क्रिय" में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इन अकाउंट पर ब्याज अकाउंट की परिचालन स्थिति पर ध्यान दिए बिना नियमित आधार पर जमा किया जाता है।

***19.6 डॉर्मेंट अकाउंट*** - RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, अकाउंट बैलेन्स की परवाह किए बिना, अंतिम ग्राहक प्रेरित लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) की तारीख से 24 महीने के बाद खाते को "डॉर्मेंट" में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इन सभी अकाउंट पर ब्याज अकाउंट की परिचालन स्थिति पर ध्यान दिए बिना नियमित आधार पर जमा किया जाता है। बैंक ने निवासी और अनिवासी दोनों ग्राहकों के लिए निष्क्रिय खातों (इनएक्टिव अकाउंट) को (एक्टिव) सक्रिय करने की एक प्रक्रिया परिभाषित किया है। बैंक में कई अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए जहां एक या अधिक अकाउंट इनएक्टिव हो गया है और कम से कम एक अकाउंट एक्टिव है, सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) को उचित सत्यापन और नियंत्रण के साथ सरल बनाया गया है। ग्राहक की प्रोफाइलिंग के अनुसार सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) के बाद ऐसे अकाउंट में परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। सम्यक् तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) का मतलब लेनदेन (ट्रैंज़ैक्शन) की वास्तविकता सुनिश्चित करना, हस्ताक्षर और पहचान का पुष्टि आदि होगा।

***19.7 अप्रत्याशित घटना*** - अप्रत्याशित घटना का अर्थ है दैवीय कृत्य, बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक दुर्घटना या स्थिति, आपदा, महामारी, आतंकवादी हमला, युद्ध या दंगे, परमाणु, रासायनिक या जैविक संदूषण, औद्योगिक कार्रवाई, बिजली की विफलता, कंप्यूटर की खराबी या ब्रेकडाउन, और इमारतों का गिरना, आग, विस्फोट या दुर्घटना या ऐसे अन्य कार्य जो बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं।

बैंक के दायित्वों का निष्पादन तब तक निलंबित रहेगा जब तक अप्रत्याशित घटना या परिस्थिति के कारण निष्पादन असंभव बना रहेगा। सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैंक अप्रत्याशित घटना के परिणामों को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी औद्योगिक कार्रवाई, बिजली की विफलता, कंप्यूटर की खराबी या ब्रेकडाउन की स्थिति में, बैंक अपनी सेवाओं के प्रावधान में देरी को कम करने के लिए उचित कदम उठाएगा और अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

## III. शासन

**स्वामित्व एवं अनुमोदन प्राधिकारी**

यह नीति DBS बैंक इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई है। कोई भी परिवर्तन जो वास्तविक नहीं है, लेकिन प्रकृति में आकस्मिक या प्रशासनिक है, उसके लिए अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है।

बोर्ड, इस नीति के माध्यम से CBG सेवाओं और उत्पादों के लिए परिवर्तनों को मंजूरी देने या सौंपने का अधिकार उपभोक्ता बैंकिंग समूह के भारत के प्रमुख को सौंपता है।

**समीक्षा**

नियामक क्षेत्र में विकास या आंतरिक विकास के कारण बदलाव की जरूरत होने पर, इस नीति की निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए तीन वर्ष में एक बार (एक महीने तक की छूट अवधि के साथ) या इससे पहले समीक्षा की जानी चाहिए।

## परिशिष्ठ 1 शब्दावली

[इकाई की शब्दावली का लिंक जो इकाई के मैंडेट, नीतियों और मानकों की व्याख्या करने के लिए आवश्यक सभी शब्दों, परिवर्णी शब्दों और संक्षिप्त रूपों की परिभाषाएँ निर्धारित करता है।]

GOI- भारत सरकार
DBIL- DBS बैंक इंडिया लिमिटेड
DBL- DBS बैंक लिमिटेड
WOS- पूर्णतः स्वाधिकृत समनुषंगी
ALCO- परिसंपत्ति देयता समिति
DBT- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
PAN- स्थायी खाता संख्या
KYC- अपने ग्राहक को जानें
FCNR डिपॉज़िट - विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा खाता
NRE- अनिवासी बाह्य रुपया खाता
NRO- अनिवासी साधारण रुपया खाता
PIO/OCI- भारतीय मूल का व्यक्ति/भारत का प्रवासी नागरिक
CERSAI- भारतीय प्रतिभूतिकरण संपत्ति पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित की केंद्रीय रजिस्ट्री
CKYCR- केंद्रीय KYC रजिस्ट्री
PID - व्यक्तिगत जानकारी का विवरण
OVD - आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़

## परिशिष्ठ 1 पुराने वर्जन की जानकारी

| वर्जन | जारी करने की तारीख | मुख्य बदलावों का सारांश |
|---|---|---|
| 1.0 | फरवरी 2022 | - DBS और e-LVB के बीच नीति में सामंजस्य स्थापित किया गया |
| 2.0 | जून 2023 | - आधार OTP आधारित फिक्स्ड डिपॉज़िट शामिल किया गया।<br>- FCNR (B) स्लैब जोड़ा गया।<br>- सेफ डिपॉज़िट लॉकर शामिल किया गया।<br>- समीक्षा अवधि शामिल किया गया। |